न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नाथद्वारा, जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : निशा R.A.S.

प्रकरण संख्या : 1096/2018 प्रार्थना पत्र

1. मैसर्स मीनकमल एन्टरप्राईजेज प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी, पंजीकृत कार्यालय प्रथम मंजिल 60–डी पंचवटी उदयपुर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता ध्रुव कर्णावट पिता श्री कैलाश कर्णावट आयु वयस्क वयस्क निवासी 304ए सर्कल व्यू अपार्टमेन्ट सुखाडिया सर्कल उदयपुर।

–प्रार्थी

बनाम

1. श्री केशरसिंह पिता चन्दनसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी बल्ला सा की भागल, बलीचा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
2. श्री जयसिंह पिता केशरसिंह जी जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी बल्ला सा की भागल बलीचा तहसील खमनोर जिला राजसमन्द।
3. श्री नोजा पिता भेरा जी भील जाति भील आयु वयस्क निवासी सगरूण तहसील खमनोर जिला राजसमन्द (राज.)।

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र– अन्तर्गत धारा 129, आरएलआर एक्ट बाबत् पत्थरगढ़ी कराने बाबत्

उपस्थित : 1. श्री भरतगिरी गोस्वामी, अधिवक्ता प्रार्थी
2 श्री गिरीश तिवारी, अधिवक्ता विपक्षीगण

: : **आदेश** : :

दिनांक :–13.05.2019

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रार्थी के खातेदारी एवं आधिपत्य की राजस्व ग्राम सगरूण, तहसील खमनोर की आराजी सं. 5046/3467 रकबा 05 बीघा एवं आराजी सं. 5051/3467 रकबा 03 बीघा स्थित है। प्रार्थी भारतीय कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत एक निगमित पंजीकृत कम्पनी है जिसका प्रमाण पत्र रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनी द्वारा प्रार्थी के पक्ष मे किया जा चुका है। प्रार्थी की उक्त आराजी सं. 5051/3467 के पश्चिम दिशा की ओर विपक्षी सं. 1 एवं 2 की आराजी सं. 5044/3467 स्थित है। इसी प्रकार प्रार्थी की आराजी सं. 5046/3467 के उत्तरी पश्चिमी कोने पर विपक्षी सं. 3 की आराजी सं. 5052/3467 स्थित है। विपक्षीगण आये दिन प्रार्थी की उक्त आराजीयात की सीमाओ को लेकर विवाद करते है जिससे प्रार्थी अपनी आराजीयात एवं विपक्षीगण की आराजीयात के मध्य पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। विपक्षीगण ने दिनांक 11.07.2018 को भी सीमाओं को लेकर विवाद किया तथा प्रार्थी की भूमि मे भी अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने का प्रयास किया जिसे प्रार्थी द्वारा रोका

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
नाथद्वारा जिला राजसमन्द

गया। प्रार्थना पत्र के लिये हेतुक दिनांक 11.07.2018 को उत्पन्न हुआ जब विपक्षीगण ने विवाद किया।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी और विपक्षीगण की आराजीयात के मध्य पत्थरगढी कराये जाने का आदेश फरमाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का विपक्षीगण की ओर से जवाब निम्नानुसार है प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो को अस्वीकार करते हुये विपक्षीगण ने बताया कि वह प्रार्थी को नही जानते है एवं प्रार्थी विपक्षीगण से कभी नही मिला इसलिये सीमा विवाद का कोई प्रश्न ही नही है न ही इस आधार पर प्रार्थी पत्थरगढी करवाने का अधिकारी है। दिनांक 11.07.2018 को प्रार्थी व विपक्षीगण के मध्य कोई विवाद नही हुआ। वास्तव मे विपक्षीगण ने प्रार्थी को आज दिनांक तक कभी नही देखा है न कभी मिले है। प्रार्थी ने राजस्व अभिलेख के अनुसार भूमि क्रय की है जबकि मौके पर प्रार्थी की भूमि रास्ते के रूप मे उपयोग मे आ रही थी एवं खुली भूमि होने से पशुओ के चारागाह के रूप मे खाली पडी हुई थी। प्रार्थी(क्रेता) व उसके पुर्ववर्ती स्वामी (विक्रेता) उक्त भूमि पर कभी नही आये।

अतः प्रार्थना है कि प्रार्थी का प्रार्थनापत्र मिथ्या आधारो पर होने से सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

अधिवक्ता पक्षकारान उपस्थित। अधिवक्ता पक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपस्थित दस्तावेजो के अनुसार राजस्व ग्राम सगरूण, तहसील खमनोर की आराजी सं. 5046/3467 रकबा 05 बीघा एवं आराजी सं. 5051/3467 रकबा 03 बीघा मे प्रार्थी खातेदार दर्ज होना प्रकट होता है।

प्रार्थी एवं विपक्षीगण की आराजी के मध्य सीमा को लेकर विवाद होना प्रकट होता है। प्रार्थी अपने खातेदारी की आराजी न. 5051/3467 एवं 5046/3467 के पत्थरगढ़ी कराने का अधिकारी साबित होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः आदेश सुनाया जाता है :–

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी राजस्व ग्राम सगरूण, तहसील खमनोर की आराजी सं. 5046/3467 रकबा 05 बीघा एवं आराजी सं. 5051/3467 रकबा 03 बीघा की कृषि भुमियो की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार खमनोर को कमिश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि मौके पर उभयपक्ष की उपस्थिति में कब्जे को डिस्टर्ब किये बिना नियमानुसार पत्थरगढ़ी करावें। यदि मौके पर कब्जे को लेकर विवाद हो तो पत्थरगढ़ी नहीं करा पर्चा मौका तैयार कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। कमिश्नर फीस प्रार्थी से नियमानुसार प्राप्त करें। तहसीलदार खमनोर को तहरीर जारी होकर पत्रावली शुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 13.05.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निशा)
उपखण्ड अधिकारी
नाथद्वारा, जिला राजसमन्द